

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय  
प्रकरण संख्या 118/2024 (धारा 14 शिक्योरिटाइजेशन)

इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 1801 मंजिल, प्लॉट नम्बर 15, इण्डिरिड्यूल  
एरिया, सेक्टर 14 गुरुग्राम व शाखा कार्यालय शाप नम्बर 67बी व 68, रोकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 277,  
टेमोर नगर, डीसीएम के पास, जयपुर रोड जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- 1 शालिनी शर्मा पता— ओम प्रकाश मार्ग बडा तख्त जयपुर,  
एवं प्लैट नम्बर एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर एच-34, मंगलम सिटी विस्तार, ग्राम पीथावास,  
निवारु, कालवाड रोड, जयपुर
- 2 कुलदीप राजौरा पता— ओम प्रकाश मार्ग बडा तख्त जयपुर,  
एवं प्लैट नम्बर एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर एच-34, मंगलम सिटी विस्तार, ग्राम पीथावास,  
निवारु, कालवाड रोड, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest  
Act, 2002.**

पस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
27.01.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति शालिनी शर्मा के  
स्वामित्व की सम्पत्ति प्लैट नम्बर एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर एच-34, मंगलम सिटी विस्तार,  
श्री सालासर बालाजी रेजिडेन्सी, ग्राम पीथावास, निवारु, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 750  
वर्ग फीट को बन्धक रख कर 10,20,414/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी  
ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा  
13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2024 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी  
किये व दो अखबारों में भी साया करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि  
मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

जिला मजिस्ट्रेट  
(कालवाड) जयपुर (प्रांतीय)



2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इरतादुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 10,20,414/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,52,126/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.02.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं अखबार में भी साया करवाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति शालिनी शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लैट नम्बर एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नम्बर एच-34, मंगलम सिटी विस्तार, श्री सालासर बालाजी रेजिडेन्सी, ग्राम पीथावास, निवारु, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को प्राप्त करने में सहयोग कर कम्पनी को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(अखबार) जयपुर (ग्रामीण)